

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1947- अगस्त 05, 2025 <i>Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 04, 2025

संख्या एफ7(100)(71)/परि/नियम/मु./2025/10830 :-यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण मंजिली गाड़ियों के यात्री भाड़े की संरचना का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है,

अतः अब राज्य सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त उप-धारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या एफ 7(100)(71)/परि/नियम/मु./2013/49215 दिनांक 27.05.2014 को अधिक्रमित करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात:-

राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तुरन्त प्रभाव से अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर चलायी जा रही मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिकतम यात्री भाड़ा नीचे उल्लिखित रूप से नियत करेगी:-

- (1) साधारण सेवा 95 पैसे प्रति कि.मी.प्रति यात्री
- (2) एक्सप्रेस/मेल सेवा 100 पैसे प्रति कि.मी.प्रति यात्री
- (3) सेमी-डीलक्स सेवा 110 पैसे प्रति कि.मी.प्रति यात्री
- (4) डीलक्स सेवा 170 पैसे प्रति कि.मी.प्रति यात्री
- (5) वातानुकूलित सेवा 250 पैसे प्रति कि.मी.प्रति यात्री

स्पष्टीकरण संख्या 1

यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुए अधिकतम होंगी कि वयस्क यात्रियों से 5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री भाड़ा 5.00 रुपये होगा और बालक यात्रियों के मामले में 2.00 रुपये होगा।

स्पष्टीकरण संख्या 2

“एक्सप्रेस/मेल सेवा” से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 7.14 में वर्णित मानदण्डों के अनुरूप हो एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार या यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष

रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्थान तथा जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर ठहरने के सिवाय कम से कम 40 किलोमीटर तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती हो।

स्पष्टीकरण संख्या 3

“सेमी डीलक्स सेवा” एवं “डीलक्स सेवा” से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 7.14 में ऐसी सेवाओं हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हो।

स्पष्टीकरण संख्या 4

“वातानुकूलित सेवा” से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसमें संपूर्ण वाहन वातानुकूलित हो।

स्पष्टीकरण संख्या 5

यात्री भाडा 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगणित किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिए 0.5 कि.मी. से अधिक 5 कि.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जावेगा और 0.5 कि.मी तक की दूरी को छोड़ दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या 6

संगणित यात्री भाडे की राशि 1.00 रु. के गुणक में निर्धारित की जावेगी और 49 पैसे या कम की राशि को छोड़ दी जायेगी तथा 49 पैसे से अधिक की कोई भी राशि 1.00 रु. तक पूर्णांकित की जावेगी।

उदाहरणार्थ-

1.01 रु. से 1.49 रु. = 1.00 रु.

1.50 रु. से 1.99 रु. = 2.00 रु.

राज्यपाल के आदेश से,

ओ.पी.बुनकर,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।